विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(कार्यवाही अनुभाग)

संख्या:187 / वि0स0 / कार्यवाही / 41(का0) / 2022

लखनऊ, दिनांक : 30 जनवरी, 2024

प्रेषक,

श्री प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

सेवा में,

माननीय सदस्यगण / मंत्रिगण,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

विषय :— उत्तर प्रदेश विधान सभा के सत्र के दौरान सदन में उपस्थिति दर्ज करने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

आप अवगत हैं कि विगत दो वर्षों से ई—विधान के अन्तर्गत उ0प्र0विधान सभा की कार्यवाही में प्रतिभाग करने वाले सदस्यगण की उपस्थिति के लिए उपस्थिति पंजिका के स्थान पर सदन में मा0 सदस्यों हेतु आरक्षित टेबल पर लगे इलेक्ट्रानिक डिवाइस(टैबलेट) पर लॉगिन के द्वारा डिजिटली उपस्थिति दर्ज करने का प्राविधान है।

प्रायः देखने में आया है कि मा0 सदस्यगण / मंत्रिगण द्वारा टैब लागिन न किये जाने से उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं हो पा रही है। कतिपय सदस्यों द्वारा सदन का उपवेशन समाप्त होने के पश्चात कार्यालय द्वारा अभिलेखार्थ अन्तिम रूप से उपस्थिति सूची प्राप्त करने के बाद नेवा कर्मियों के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करा दी जाती है, जिससे उनकी उपस्थिति कार्यालय अभिलेखों में दर्ज नहीं हो पा रही है।

इस सम्बन्ध में मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा यह निदेश दिये गये है कि सदन की कार्यवाही में प्रतिभाग के दौरान टैब को अनिवार्य रूप से लॉगिन करके अपनी उपस्थिति दर्ज करें। किन्हीं कारणवश उपवेशन के दौरान डिवाइस लॉगिन न कर सकने पर बैठक समाप्त होने के 15 मिनट के भीतर अपने टैबलेट पर लॉगिन कर लें, जिससे कि आपकी उपस्थिति दर्ज हो सके और किसी प्रकार की विसंगति से बचा जा सके।

भवदीय,

(प्रदीप कुमार दुबे)
प्रमुख सचिव।